संख्या: 57/2017/2854/12-2-2017-बजट.1/2009

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 873/कृ0र0/छ-1/की0रो0नि0यो0/2017-18 दिनांक 11 अगस्त, 2017 तथा शासनादेश संख्या: 13/2017/1470/12-2-2017-बजट.1/22009 दिनांक 11 मई, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 2006.18 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 1173.18 लाख (रूपये ग्यारह करोड तिहत्तर लाख अठठारह हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. धनराशियों का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारियों की मांग के अनुसार उन्हे अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवयकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. कृषि रक्षा यंत्रों पर देय अनुदान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 820/12-2-2015-61/2012 दिनांक 31 मार्च, 2015 एवं शासनादेश संख्या: 3544/12-2-2012 दिनांक 05 नवम्बर, 2012 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जायेगा।

8. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या: 57/2017/2854(1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक, (कृषि रक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 57/2017/2854/12-2-2017-बजट.1/2009 दिनांक 29 अगस्त, 2017 का संलग्नक

क्र0सं0	विषय	विवरण
1	योजना का नाम	2401-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
2	वित्त पोषण	उत्तर प्रदेश
3	योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो का विवरण संक्षेप में	बायोपेस्टीसाइड/बायो एजेन्ट का उत्पादन, लघु एवं सीमान्त कृषकों को बायोपेस्टीसाइड के वितरण पर 75 प्रतिशत अनुदान, बीज शोधन हेतु बीज शोधक रसायनों पर 75 प्रतिशत अनुदान, लघु एवं सीमान्त कृषकों कोकृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान, लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा यंत्रों पर 50 प्रतिशत का अनुदान, लघु एवं सीमान्त कृषकों को अन्न सुरक्षा हेतु बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान, दलहनी फसलों में प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन, सहभगी फसल, निगरानी, कीट/रोग के प्रकोप का सर्वेलेंस, उनके नियंत्रण का प्रबंधन कराये जाने का प्रस्ताव है।
4	नियोजन विभाग/व्यय वित्त समिति/भारत सरकार/आर0 के0वी0वाई में एस0एल0एस0 सी0/ मा0 मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित कार्य योजना, परियोजना अवधि, लागत तथा बैठक एवं पत्र जिसके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।	वर्ष 2017-18 की अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार।
5	परिव्यय	2006.18 लाख
6	केन्द्र पोषित योजना की स्थिति में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु पुर्नवैद्य/अवमुक्त केन्द्रांश भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित।	शून्य
7	केन्द्रांश के सापेक्ष जारी की जा सकने योग्य धनराशि	शून्य
8	योजना में वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्राविधान	2006.18 लाख
9	पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृतियों तथा व्यय की धनराशि	शून्य
10	चालू योजना की स्थिति में गत वर्ष जारी धनराशि तथा व्यय का विवरण	जारी धनराशि: 833.00 लाख वास्तविक व्यय: 145.00 लाख
11	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति का मदवार विवरण	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
	मानक मद	मांगी जा रही वांछित धनराशि लाख रूपये में
	02-मजदूरी	23.00
	04-यात्रा व्यय	9.00
	08-कार्यालय व्यय	7.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	09-विद्युत देय	12.18
	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	6.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00
	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.00
	27-सब्सिडी	17.00
	29-अनुरक्षण	1.00
	42-अन्य व्यय	891.00
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	15.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	29.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.00
	योग-	1173.18

(रूपये ग्यारह करोड तिहत्तर लाख अठठारह हजार मात्र)

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।